AMC (Estt)

सेवा में,

आयुक्त कार्यालय
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
10 MAY 2018
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त

पटना नगर निगम।

विषयः- 10 वर्षो की सेवा पुरी कर चुके दैनिक मजदूरों की सेवा नियमित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि हमलोग वर्ष 1997 से एवं उसके बाद से दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत हैं। सशक्त स्थायी समिति/निगम पर्षद के स्वीकृति के बाद सरकार से सहमति प्राप्त होने के बाद भी हमलोग को वेतनमान् में नियमित करने की कार्रवाई कार्यालय द्वारा टाल-मटोल किया जा रहा है जबकि हमलोग की सूची भी तैयार है।

दिनांक 21.04.15 को हुई निगम पर्षद की बैठक के प्रस्ताव सं0 83 में लिए गये निर्णय के आलोक में दिनांक 05.02.18 को हुयी सशक्त स्थायी समिति के प्रस्ताव सं0 95 में दैनिक मजदूरों की सूची की मांग की गयी थी। सरकारी पत्रांक 7095 दिनांक 01.11.17 द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान कर दिया है।

5016
10/5/18

अतः अनुरोध है कि हम 10 वर्ष से ज्यादा से दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की सेवा नियमित करने का कष्ट करें ताकि हम मजदूर भी अपने परिवार के साथ स्वाभीमान से जीवन बर कर सकें।

विश्वासभाजन

हम 108 दैनिक मजदूर

1. सुरेन्द्र प्रसाद यादव
2. राजेश कुमार
3. सीताराम महतो
4. नित्यानन्द सिंह
5. रामफल राम

6 चन्द्रशेखर सिंह
7 संजय कुमार राम
8 विवेक कुमार पाठक
9 नवीन कुमार
10 नरेश कुमार
11 रामधनी प्रसाद सिंह
12 Ram gopal
13 Jugeshwar oraon
14 Anirkumar.
15 प्रकाश कुमार
16 धनंजय उरॉव
17 मंगलदेव भगत
18 [illegible]
19 परमेश्वर उरॉव
20 रमेश कुमार
21 वीरेन्द्र [illegible]
22 जितेन्द्र उरॉव
23 [illegible] उरॉव
24 अर्जुन महतो
25 राजेन्द्र भगत
26 शंकर भगत
27 Md. Iftekhar Ahmed
28 ईश्वरी भगत
29 धर्मेन्द्र उरॉव
30 अश्विनी कुमार
31 रवि [illegible]
32 [illegible]
33 मिथिलेश कुमार
34 मो० [illegible] हुसैन
35 राजकुमार [illegible]
36 फिरोज खाँ
37 विजय पासवान
38 राज कुमार
39 मो० शहजाद
40 राम बाबू महतो
41 दिना नाथ यादव
42 Jagganath prasad
43 [illegible]
44 माखनलाल शर्मा
45 [illegible]

दिनांक- 21.4.2015 को निगम बोर्ड की बैठक 14- की कार्यवाही

प्रस्ताव संख्या-82, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में अनुपयोगी पदों को नाम परिवर्तित कर ऑफिस एक्जक्यूटिव -कम- कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-06, दिनांक-11.12.1990 के पश्चात् दैनिक पारिश्रमिक पर नियोजित कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में।

अध्यक्ष :- मद संख्या-06 पर चर्चा करें।

श्री संजय कुमार सिंह (वार्ड नं०-01) :- माननीय अध्यक्ष महोदय/नगर आयुक्त साहब डिफाईन करें। दैनिक कर्मचारी की सूची संलग्न नहीं है। सूची सभी माननीय सदस्यों का मिलनी चाहिए थी।

श्री रूप नारायण (उप महापौर) :- नगर आयुक्त महोदय, हम इसका समर्थन करते हैं, इस पर सभी माननीय का राय भी लिया जाय।

अध्यक्ष :- इस पर चर्चा करना है पास किया जाय या नहीं ।

श्री शिव कुमार (वार्ड नं०-61) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे पास किया जाय।

श्री संजय कुमार सिंह (वार्ड नं०-01) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दैनिक वेतन भोगी की सूची कहाँ हैं। संलेख के साथ नहीं मिला है। इसे पास किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-83, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक-11.12.1990 के पश्चात् दैनिक पारिश्रमिक पर नियोजित कर्मचारियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद संख्या-07, पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक वार्ड में रूपये 50-50 लाख की योजना स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- मद संख्या-07 पर चर्चा करें, इस पर क्या किया जाय?

दिनांक — 05.02.2018 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही

नगर आयुक्त :- कितने कर्मचारी 10 वर्ष तक सतत् रूप से कार्यरत रहे हैं? इन्हें नियमित करने की बाध्यता नहीं है।

1. नियमित करने के पूर्व यह देखना होगा कि ये स्वीकृत पद के विरूद्ध हैं या नहीं।

2. आरक्षण/रोस्टर की स्थिति भी देखना होगा।

विधि पदाधिकारी :- दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों को वेतनमान में समायोजन के पूर्व – स्वीकृत पद रोस्टर एवं आरक्षण की कार्रवाई करनी होगी।

उप महापौर :- जानकारी मिली है कि सरकार के आदेश से भागलपुर नगर निगम में 10 वर्ष सेवा पूरी करने वाले को वेतनमान में समायोजन किया गया है।

नगर आयुक्त :- अगर भागलपुर नगर निगम ने सरकार के आदेश से 10 वर्ष सेवा पूरी करने वाले को वेतनमान में समायोजन किया है तो वह पत्र दें। पटना नगर निगम भी प्रस्ताव सरकार को भेजेगी।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, निगम में सफाई निरीक्षक के 18 पद स्वीकृत हैं। कई प्रभारी सफाई पर्यवेक्षक, सफाई निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि वरीयता,कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें सफाई निरीक्षक के पद पर समायोजन किया जाय।

अध्यक्ष :- वर्षों से प्रभारी सफाई निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं। उनकी योग्यता,अहर्ता एवं वरीयता को देखते हुए सफाई निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने की कार्रवाई की जाय।

प्रस्ताव सं0-95, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1990 से दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत कर्मचारियों की सुस्पष्ट सूची बैठक में रखें।

मद सं0-05, मीठापुर बस स्टैंड से राजस्व वसूली के संबंध में।

अध्यक्ष :- मीठापुर बस स्टैंड से वसूली का विवरण है। माननीय सदस्य अपना सुझाव दें।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक 10 माह में लगभग 1,13,13,420/-रू0 वसूली हुई है, जो लगभग 11,00,000 लाख प्रतिमाह औसतन है। चुंगी वसूली कैसे हो रही है?

कार्यपालक अभियंयता,कंकड़बाग प्रमंडल:- चुंगी वसूली कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है।

महापौर
पटना नगर निगम

पत्रांक–5 न0 वि0 / वि0–191 / 16 7095 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल,
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक:– 01/11/17

विषयः– पटना नगर निगम में दिनांक–11.12.1990 के पश्चात् दैनिक पारिश्रमिक पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अपर नगर आयुक्त (स्था) पटना नगर निगम के पत्रांक–9839 दिनांक–21.09.2017 द्वारा प्राप्त दैनिक पारिश्रमिक पर नियोजित कर्मियों की सेवा नियमित करने के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–38 के अनुसार समूह 'ग' एवं 'घ' के नियुक्ति के मामले में नियुक्ति प्राधिकार नगरपालिका के ऐसे पदाधिकारी जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी शक्ति प्रदत्त स्थायी समिति के पूर्व अनुमोदन से इस निमित नामोनिर्दिष्ट करे, होगा। परन्तु धारा 37 (4) के परन्तु में यह अंकित है कि नगरपालिका स्थापना के आकार में उर्ध्वमुखी (Upward) पुनरीक्षण राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी नियुक्ति नगर निगम द्वारा की जाती है तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आयु, योग्यता, आरक्षण इत्यादि का पालन किया जाना भी आवश्यक होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

1/11/17

उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

Hmc (स्था0)

1592
3/11/17

03 NOV 2017

an. 2017\Shubh\Ihdu3h\Letter.doc